

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार—नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Website: - www.klsgaci.edu.in

दूरभाष क्र.—0755—2910370

क्रय / 2025 /

दिनांक

(वाटर कूलर/फिल्टर/आर.ओ.के व्यापक रख—रखाव अनुबंध की निविदा)

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद संस्थान, स्थापित वाटर कूलर/फिल्टर/आर.ओ.के व्यापक रख—रखाव अनुबंध हेतु निविदाएँ जो कि <https://mptenders.gov.in/> पर निधारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने की नियम निर्देश एवं शर्त महाविद्यालय की वेबसाइट <http://www.klsgaci.edu.in> पर भी प्रदर्शित होकर उपलब्ध है।

1. निविदाएँ प्राप्त एवं प्रस्तुत करने की तिथियां निम्नानुसार हैं :—

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की आंतरिक तिथि :— 10.02.2025

निविदा प्रपत्र आनलाइन प्रस्तुत (अपलोड) करने की अंतिम तिथि :— 05.03.2025

तकनीकी निविदा दिनांक डाउनलोड किये जाने की तिथि :— 07.03.2025

निविदा की अनुमानित मूल्य :— 03.00 लाख

मशीनों का विवरण निम्नानुसार है :—

S.n.	Name Of Work	Qty
01	Aquaguard Purechill 80SS RO Cooler Cum Purifier	04
02	Reverse Osmosis 25 Lph	07
03	Reverse Osmosis 100 Lph	08

1. दर अनुबंध निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।
2. इच्छुक ई—निविदाकर्ता ऑनलाइन mptender.gov.in से ई—निविदा राशि रु. 1000/- का भुगतान कर ई—निविदा प्राप्त कर सकते हैं, जिसको mptender.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक—पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है।
3. ई.एम.डी. राशि रुपये 5000/- (रुपये पांच हाजर मात्र) है, जिसे ई—पेमेन्ट के माध्यम से mptender.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptender.gov.in के माध्यम से वापस लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबंध राशि 3 प्रतिशत तक) बैक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्थान में जमा करना होगा। निष्पादन प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी। सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित—2022 के प्रावधानों अनुसार म0प्र0के लधु उद्यम उद्योगों एवं प्रदेश के स्टार्टअप को नियमानुसार छूट रहेगी हेतु म0प्र0सरकार के एम.एस.एम.ई विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

4. निविदाकार फर्म के पास जीवित गुमास्ता(स्थानीय स्तर) होना आवश्यक है,जिसकी प्रति तकनीकी निविदा से साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. जी.एस.टी पंजीयन की प्रतिलिपि तकनीकी निविदा से साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
6. पैन नम्बर की प्रतिलिपि तकनीकी निविदा से साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. म0प्र0के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं स्टार्टअप्स को म0प्र0भंडार क्य तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कणिंका 23.1 मे उल्लेखित निर्धारण अनुसार एल–01 फर्म को सामग्री की आपूर्ति हेतु क्य आदेश जारी किया जायेगा, यदि वह फर्म निर्धारित अवधि (20 दिवस)में शर्तों का पालन न करते हुए अथवा किसी अन्य कारण से आपूर्ति नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकर्ता फर्म की होगी ।
8. ई–निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रुपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है । ।
9. सफल निविदाकार से किया गया रख रखाव अनुबंध कार्य आदेश दिनांक से 01 वर्ष हेतु मान्य होगा तथा दोनों पक्षों की सहमति से समान शर्तों एवं दरों पर अनुबंध अवधि में आगामी 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी
10. निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रुपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है । जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा ।
11. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का टर्न ओवर न्यूनतम 10–10 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की आयकर विवरणी की प्रति,एवं सी.ए.द्वारा सत्यपित प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा ।
12. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा । यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा एल–02 निविदाकर्ता से अनुबंध किया जावेगा ।
13. अनुबंधित एल–01 फर्म को वाटर कूलर/फिल्टर/आर.ओ. मे उपयोग की जाने वाली सामग्री उच्च क्वालिटी एवं संबंधित कम्पनी की ही लगाना अनिवार्य होगा । इस हेतु निविदाकर्ता फर्म के पास संबंधित कम्पनी का अधिकार पत्र होना आवश्यक होगा जिसके साक्ष्य तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगें ।
14. प्रतिमाह मशीनों की सर्विसिंग करना एवं सर्विस रिकार्ड मशीनों के समीप चश्पा करना होगा एवं सर्विस रिपोर्ट की प्रति मरम्मत कक्ष प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी ।
15. सी.एम.सी.राशि के देयको का भुगतान मरम्मत कक्ष प्रभारी के सत्यापन उपरांत त्रैमासिक रूप से किया जावेगा ।
16. मासिक सर्विसिंग के समय खराव फिल्टर मैम्ब्रैन मोटर इत्यादि को तत्काल चेन्ज करना होगा ।
17. आवश्यकतानुसार दूरभाष पर दी गयी सूचना के आधार पर तत्काल सुधार कार्य हेतु उपस्थित होना होगा जिससे चिकित्सालयीन व्यवस्थाएँ प्रभावित न हों ।
18. निविदाकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए । यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा । इस संदर्भ में ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रुपये 100.00के नान ज्यूडिशियल स्टांप पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
19. रख रखाव अनुबंध–निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा । साथ ही म0प्र0भंडार क्य नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित–2022 के प्रवधानों के अनुसार वित्तीय निविदा मे प्राप्त दरों पर प्रति प्रस्ताव की मंजूरी भी रहेगी ।

20. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा इसका पालन करना होगा ।
21. एम.एस.एम.इ.फर्म को म0प्र0सरकार के एम.एस.एम.ई.विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ सलग्न किया जाना आवश्यक होगा । दर अनुबंध तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल बांधित दस्तावेजों(चैक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार में क्षेत्र में लिया जावेगा ।
22. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा ।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
(वाटर कूलर/फिल्टर/आर.ओ.के व्यापक रख—रखाव अनुबंध की निविदा)
(तकनीकी ई—निविदा प्रपत्र)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम-----
2. फर्म के मालिक का नाम----- पिता का नाम-----
- 3 वर्तमान निवास का पता-----
- 4 दूरभाष / मोबाईल नम्बर-----
- 5 GSTIN NO.-----
- 6 जीवित गुमास्ता नं.....दिनांक
- 7 निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का टर्न ओवर न्यूनतम 10–10 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की आयकर विवरणी की प्रति, एवं सी.ए.द्वारा सत्यपित प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा ।
- 8 जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
- 9 निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- 10 अधिकृत विक्रेता संबंधी अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- 11 एम.एस.एम.इ.फर्म को म0प्र0सरकार के एम.एस.एम.ई.विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ सलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।
- 12 शासकीय संस्थानों मे संबंधित कार्य किये जाने के अनुभव की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम-----

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
 (वाटर कूलर/फिल्टर/आर.ओ.के व्यापक रख-रखाव अनुबंध की निविदा)

चैक-लिस्ट

क्रं.	दस्तावेजों के नाम	संलग्न हॉ / नहीं
1	गुमास्ता की छायाप्रति	
2	पेनकार्ड की छायाप्रति	
3	GSTIN. पंजीयन(जीवित) प्रमाण-पत्र की प्रति	
4	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का टर्न ओवर न्यूनतम 10-10 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की आयकर विवरणी की प्रति, एवं सी.ए.द्वारा सत्यपित प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा ।	
5	ब्लैक लिस्ट न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रु 100.00 के नाम ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज़ेड	
6	एम.एस.एम.इ.फर्म को म0प्र0सरकार के एम.एस.एम.ई.विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ सलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।	
7	अधिकृत विकेता संबंधी अभिलेख की प्रति	
8	शासकीय संस्थानों मे संबंधित कार्य किये जाने के अनुभव की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।	